कमांडरों के संयुक्त सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन
20 अक्तूबर, 2009

मैं राष्ट्र की तरफ से, हमारे देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा के कर्त्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सशस्त्र बलों की सराहना करता हूं। हमारे देश को अपने वर्दीधारी पुरुषों एवं महिलाओं पर गर्व है, देश जल, थल और आकाश में हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए उनका ऋणी है।

पिछले वर्ष के दौरान, सैन्य बलों ने जम्मू-कश्मीर में चुनौतियों से निपटने और पूर्वोत्तर में विद्रोह का सामना करने में नागरिक प्राधिकरण की सहायता करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आपने हाल के बाढ़ राहत कार्यों सहित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अमूल्य सेवाएं दी हैं। आपका बलिदान, साहस और बहादुरी प्रेरणा के स्रोत हैं तथा समूचे देश के लिए उदाहरण हैं।

पिछली बार जब मैंने इस सम्मेलन को संबोधित किया था तब से हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। इस साल देश में सफलतापूर्वक पन्द्रहवें आम चुनाव हुए। यह अब तक का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव रहा और हमारी संस्थाओं की ताकत के लिए सम्मान है। हम लोकतांत्रिक, बहुलवादी और धर्मनिरपेक्ष समाज के रूप में परिपक्व हो चुके हैं और यह हर भारतीय के लिए न्यायोचित रूप से गर्व की बात है।

राष्ट्र ने मुम्बई पर भयंकर आतंकवादी हमला भी देखा और हम अब से कुछ हफ्तों में इसकी पहली बरसी मनाएंगे। मुम्बई हमले ने आतंकवाद के घातक आयामों के बारे में हमारे सबसे बुरे भय और हमारी सुरक्षा के लिए अपारंपरिक खतरों की पुष्टि की।

आतंकवाद के कारोबार में राष्ट्र और राष्ट्र से इतर दोनों तरह की ताकतें संलग्न हैं। भारत एक लोकतंत्र और खुला समाज है तथा इसलिए कभी-कभी बहुत नाज़ुक स्थिति में होता है। अतः हमें आतंकवाद के सभी रूपों, विषम युद्ध और बढ़ते उग्रवाद के विरुद्ध अपने रक्षा तंत्र में सुधार करना है। हमें इस तरह के आक्रमण का सामना करने की तैयारी करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें क्षुद्र प्रतिक्रियाओं से बचना चाहिए।

सरकार ने गुप्तचर एवं रक्षा तंत्र को मजबूत बनाने और केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत में हालांकि तब से कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है, लेकिन देश में आसन्न हमलों के बारे में नियमित खुफिया रिपोर्टें हैं। यह गंभीर चिंता की बात है, और आत्मसंतोष के लिए कोई जगह नहीं है। काबुल में 8 अक्तूबर को हमारे दूतावास पर आतंकी हमला एक बार फिर उन ताकतों की घृणित याद दिलाता है जिनसे हम मुकाबला कर रहे हैं।

पिछली बार जब मैंने आपको संबोधित किया था, तब से हमारे पड़ोस में कुल मिलाकर हालात और खराब हुए हैं।

अपने आसपास के ऐसे माहौल के अलावा हमें अन्य चुनौतियों का सामना करना है। वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट ने हमारे विकास, हमारे निर्यात और भारत में विदेशी निवेश के अंतःप्रवाह पर बुरा असर डाला है। वर्तमान वर्ष के दौरान कई राज्यों में सूखे ने हमारे समाज के बेहद वंचित तबकों पर और बुरा असर डाला है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के आरंभिक संकेत हैं, लेकिन अब भी यह निश्चित नहीं है कि क्या यह विकास के ऐसे पथ की वापसी का प्रतिनिधित्व करता है जो दीर्घकालीन एवं अपने आप में टिकाऊ हो सकता है। इन नकारात्मक कारकों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने असाधारण लचीलापन दिखाया है। वर्तमान वर्ष में हमारी विकास दर 6-6.5 प्रतिशत रहेगी। हम आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती दूसरी अर्थव्यवस्था हैं।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों ने सही दिशा में गति पकड़ी है। तथापि, भारत जैसे विकासशील देशों पर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने की नई जिम्मेदारी लादने के लिए विकसित देशों ने सम्मिलित प्रयास किए हैं। इससे हमारे आर्थिक विकास पर असर पड़ेगा।

खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा हमारे विकास के लक्ष्यों के केंद्र में हैं। अपनी बड़ी मांग के मद्देनज़र, हमें यह सुनिश्चित करना है कि इन मसलों पर सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श में हमारे हितों को पर्याप्त संरक्षण मिले।

परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार के मसलों पर रुचि फिर से बढ़ी है। हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के अभियान में भारत अग्रणी था। तथापि, हमें यह सुनिश्चित करना है कि भेदभावपूर्ण मानक और सोच को स्थायी न बनाया जाए। एक जिम्मेदार परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र होने के नाते, हम ऐसे परमाणु निरस्त्रीकरण के इच्छुक हैं जो वैश्विक, भेदभाव रहित और सार्वभौमिक प्रकृति का हो। हम विखंडनीय सामग्री कटौती संधि के बारे में बातचीत के लिए तैयार हैं जो बहुपक्षीय, भेदभाव रहित और सत्यापन करने योग्य हो।

इन विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें आंतरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। हम अपनी समस्याओं को हल करने के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं हो सकते। इसके लिए हमें भली-भांति विचारशील राष्ट्रीय अनुक्रिया और न्याय संगत निर्धारण की आवश्यकता है। इसका मतलब प्रबुद्ध आत्म-रूचि, और निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्वायत्तता पर आधारित बाहरी जगत के साथ सृजनात्मक और रचनात्मक करार से भी है।

एक साल की छोटी सी अवधि में, जी-20 प्रक्रिया विश्व मामलों में उभरती बहुध्रुवीयता का ऐसा संकेत बन चुकी है जो बहुत स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। इस मंच पर भारत के दृष्टिकोण को आदर के साथ सुना जाता है। हम अपने समक्ष मौजूद चिंता के मसलों को अंतर्राष्ट्रीय मुख्यधारा कार्यक्रम में शामिल कराने में समर्थ रहे हैं। भारत को अब वैश्विक आर्थिक मंदी से बाहर निकलने के समाधान के भाग तथा विश्व अर्थव्यवस्था के विकास ध्रुव के रूप में देखा जा रहा है।

सशस्त्र सेनाओं को सभी तरह के खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह सुसज्जित करना चाहिए। हमारी सेनाओं को किसी भी जगह, किसी भी समय और किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित किया

जाना चाहिए। सीमा सुरक्षा के अलावा अन्य खतरों से निपटने के लिए उनकी क्षमता बढ़ाने पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

हमारी सरकार सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण तथा उनकी सैन्य सर्वोच्चता एवं प्रौद्योगिकीय उत्कर्ष सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आधुनिकीकरण की योजना दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के मद्देनज़र बनानी चाहिए। तीनों सेनाओं को शामिल करने के लिए इसे एकीकृत ढंग से तैयार करना चाहिए। सेनाओं के बीच विभिन्न प्रचालनात्मक, प्रशिक्षण और प्रशासनिक पहलुओं में संयुक्त एवं सहक्रिया हुई है। इसके बावजूद अनेक ऐसे उपयुक्त क्षेत्र हैं जिनको और सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है।

विदेशों से नाज़ुक प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता अब भी विभिन्न तकनीकी अस्वीकरण प्रणालियों की शर्तों के अधीन हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम रक्षा प्रौद्योगिकी के नाज़ुक क्षेत्रों में अधिकतम आत्मनिर्भरता हासिल करें।

मैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के कार्य के लिए उसकी सराहना करना चाहूंगा जो उसने अनेक क्षेत्रों में किया है। आज, भारतीय उद्योग रक्षा उत्पादन एवं अनुसंधान और विकास गतिविधियों में भागीदारी की स्थिति में है तथा हमें ज्ञान एवं संसाधनों की प्रभावोत्पादकता के विशाल भंडार का दोहन करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए।

मैं जानता हूं कि रक्षा सामग्री के उपार्जन और खरीद की प्रक्रियाएं सशस्त्र सेनाओं के लिए चिंता के विषय हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जहां सभी पक्षों की सामूहिक कार्रवाई की ज़रूरत है। हमें समय पर आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं और पारदर्शिता, ईमानदारी और सार्वजनिक जवाबदेही के सर्वोच्च मानदंडों के अनुपालन की ज़रूरत के बीच संतुलन सुनिश्चित करना चाहिए। रक्षा खर्च में भारी वृद्धि हुई है लेकिन उसे न्यायोचित एवं प्रभावी रूप से इस्तेमाल करना चाहिए।

जंग लड़ने के लिए श्रम शक्ति बेहद महत्वपूर्ण संसाधन है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाएंगे कि सशस्त्र सेनाएं होनहार और बेहतरीन युवाओं को आकर्षित करती रहें। वरिष्ठ कमांडरों के नाते, यह सुनिश्चित करना आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ये पुरुष और महिलाएं अपनी दक्षताओं को निरंतर उन्नत करते रहें तथा प्रौद्योगिकी के मामले में आगे रहें। इससे वे न सिर्फ बेहतर सैनिक बनेंगे बल्कि अपनी सेवा सम्पन्न करने पर अधिक उत्पादक नागरिक भी बनेंगे।

मैं भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण सुनिश्चित करने की ज़रूरत की बढ़ती सामाजिक जागरूकता से बहुत उत्साहित हूं। भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्स्थापन और पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता में बना रहेगा।

भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने दुनिया भर में अपनी व्यावसायिकता और योग्यता के लिए बहुत सम्मान हासिल किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि आप में से हर एक ने वर्दीधारी पुरुषों और महिलाओं को अपना व्यक्तिगत नेतृत्व उपलब्ध कराया है। हमारी सेना आधुनिक, सुगठित और अपराजेय ताकत बनी रहे यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र अपनी इस प्रतिबद्धता में एकजुट है।

***